न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 303–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–11–2013 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशगाबाद प्रकरण कमांक 201/अपील/2008–09.

1–श्रीमती कमलाबाई वेवा शंभुदयाल
2–गिरजा पुत्री स्व.श्री शंभुदयाल
3–विष्णुशंकर पुत्र स्व.श्री शंभुदयाल
4–अरूणा पुत्री स्व0श्री शंभुदयाल
5–उमाशंकर पुत्र स्व.श्री शंभुदयाल (फौत)
  अ–श्रीमती सुनिता पत्नि स्व0श्री उमाशंकर
  ब–कुमारी आयुषी पुत्री स्व0श्री उमाशंकर
  स–आयूष पुत्र स्व0श्री उमाशंकर
6–करूणा पुत्री स्व0श्री उमाशंकर
7–रविशंकर पुत्र स्व0श्री शंभुदयाल
8–बंदना पुत्री स्व0श्री शंभुदयाल
9–अर्चना पुत्री स्व.श्री शंभुदयाल
सभी निवासी पुरानी इटारसी तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

.....

श्री शिवकांत तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 42(5) की सहपठित धारा 50 (जिसे संक्षेप में आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–11–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपर कलेक्टर द्वारा मृतक शम्भूदयाल के वारिसान को आवेदकगण को बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा जिन निर्देशों के साथ प्रकरण निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था उनका पालन अपर कलेक्टर द्वारा नहीं करते हुये कलेक्टर के पूर्व आदेश को सही ठहराने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(3) दिनांक 25–11–2009 को आयुक्त द्वारा प्रकरण में तर्क श्रवण किये गये थे, परन्तु स्थानान्तरण हो जाने के कारण वे आदेश पारित नहीं कर सके । उनके स्थान पर पदस्थ आयुक्त द्वारा भी आदेश पारित नहीं किया जा सका । तीसरे नये आयुक्त द्वारा 4 वर्ष पश्चात् बिना आवेदकगण के तर्क श्रवण किये आदेश पारित कर दिया गया है जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) पूर्व में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर द्वारा दिनांक 9–3–1990 को आदेश पारित किया गया था, जिसे अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–2–1992 को आदेश पारित कर निरस्त किया जाकर प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, इसलिये सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर ही प्रकरण की सुनवाई हेतु सक्षम था, अपर कलेक्टर नहीं ।

(5) अपीलीय प्राधिकारी अपर आयुक्त के आदेश के पालन में अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगण से विवरणी प्राप्त नहीं की गई और न ही सभी पक्षकारों को निर्धारित प्रपत्र में सूचना पत्र जारी किये गये, अतः सीलिंग अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के अनुरूप अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) दिनांक 13–9–14 को शम्भूदयाल की मृत्यु होने के बाद उसके केवल एक पुत्र विष्णु शंकर को धारक मानकर आदेश पारित किया गया है, जो कि वैधानिक नहीं है क्योंकि शम्भूदयाल के अन्य वारिसान आवेदकगण है जिन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है, अतः सीलिंग अधिनियम की धारा 4(1) का पालन नहीं करने से अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(7) सक्षम प्राधिकारी एवं अपर कलेक्टर को अधिनियम की धारा 11(1) एवं धारा 6 के परिपालन में नियत दिनांक 1–1–1971 एवं 7–3–1974 की स्थिति को ध्यान में रखते हुये

9–3–1990 जिसकी पुष्टि कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 20–07–06 को की है, में आवेदकगण द्वारा कोई अवैधानिकता की जाना नहीं दर्शाया जा सका है । आवेदकगण द्वारा जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई है, उनका निराकरण आदेश दिनांक 20–07–2006 से किया जा चुका है । इस प्रकार आवेदकगण को 54 एकड़ भूमि की पात्रता होने से 21.96 एकड़ सिंचित अथवा 43.93 सूखी भूमि अतिशेष घोषित किये जाने संबंधी दिनांक 9–3–90 तथा आदेश दिनांक 20–07–06 को पारित आदेश विधिवत् आदेश है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर द्वारा 43.93 एकड़ सूखी भूमि अतिशेष घोषित कर शासन पक्ष में कब्जे की कार्यवाही के लिये अनुविभागीय अधिकारी को आदेशित करने में विधिसंगत कार्यवाही गई है और अपर कलेक्टर के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–11–2013 तथा अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–07–2006 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर